उत्तर प्रदेश शासन।

पर्यटन अनुभाग

संख्या 03/2015/36/41-2015-462 सा0/13

लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2014

शुद्धि - ज्ञाप

आयोजनागत पक्ष में विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार किये जाने हेतु रू0 300.00 लाख (रूपये तीन करोड. मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 86/2983/41-2014-462 सा0/13, दिनांक-31-12-2014 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश सं0 01/2015/2983/41-2014-462 सा0/13, दिनांक-01-01-2015 के स्थान पर त्रुटिवश शासनादेश सं0 86/2983/41-2014-462 सा0/13, दिनांक-31-12-2014 अंकित हो गया है।

3- अत: शासनादेश सं0 86/2983/41-2014-462 सा0/13, दिनांक-31-12-2014 के स्थान पर शासनादेश सं0 01/2015/2983/41-2014-462 सा0/13, दिनांक-01-01-2015 पढा जाय तथा शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेगें। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाया।

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या- 03/2015/36 (1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेश्क पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
7- श्री राजाराम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in